



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देवरिया

पत्राक- 1113/1सी

दिनांक- 30/07/2020

सेवा में,

1424

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
देवरिया।

विषय-

जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सिरसिया पट्टी हुसैन जिला देवरिया में स्थित गाटा सं० 166 पर स्थित श्रीमती उषा मल्ल पत्नी विवके प्रताप मल्ल के नाम से देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग सं० 79) के किमी० 19.00 (चै० 18.620) मार्ग के दाये तरफ रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, देवरिया का पत्रांक 5187/132 पे०प०-गो०क्षे०/2020-21 दिनांक 23.07.2020 एवं अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लो०नि०वि०, देवरिया का पत्रांक 6757/3यात(1)-दे०वृत्त/20 दिनांक 24.07.2020 आपका पत्रांक /शस्त्र-2020 दिनांक अक्टूबर 2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। टेरीटोरी मैनेजर (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) प्रादेशिक कार्यालय गोरखपुर के पत्रांक जी.के.पी./एल.ओ.आई./एन.आर.ओ./Adv18/2374/300038269 दिनांक 14.08.2019 द्वारा ग्राम सिरसिया पट्टी हुसैन जिला देवरिया में स्थित गाटा सं० 166 पर स्थित श्रीमती उषा मल्ल पत्नी विवके प्रताप मल्ल के नाम से देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग सं० 79) के किमी० 19.00 (चै० 18.620) मार्ग के दाये तरफ रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अपेक्षा की गयी है। मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, गोरखपुर के पत्रांक 5187/132 पे०प०-गो०क्षे०/2020-21 दिनांक 23.07.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार (पेट्रोल पम्प) की स्थापना करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

- 1- पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के शा०सं० 1882/23-12-19-1365/17 टी.सी. लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी "The Uttar Pradesh Guidelines for Issuing of NOC for Setting up fuel Station along UPPWD Roads 2019" में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- 2- प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिये।
- 3- आई०आर०सी०-12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी० की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं होना चाहिए।
- 4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
- 5- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थानीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।
- 6- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney

08/10/20
Vikas Srivastava

- 7- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, एवं पार्टी द्वारा एकजीक्यूट करा लिया जाय।
- 8- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 9- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेंस न हो।
- 10- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गों पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें।
- 11- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 एस0पी0-13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख-रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।
- 12- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेन्ड एरिया का लेविल सडक के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी० नीचे रखा जायेगा।
- 13- टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस आफ नान टर्निंग कर्व 1.500 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।
- 14- प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।
- 15- जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।
- 16- मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।
- 17- पेट्रोल उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।

- संलग्न- 1- मानचित्र एक प्रति में।
2- चेक लिस्ट एक प्रति में।
3- लाइसेन्स डीड मूल में।

पत्रांक-

दिनांक-

30/1/2020
(कमल किशोर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया
29-1-20

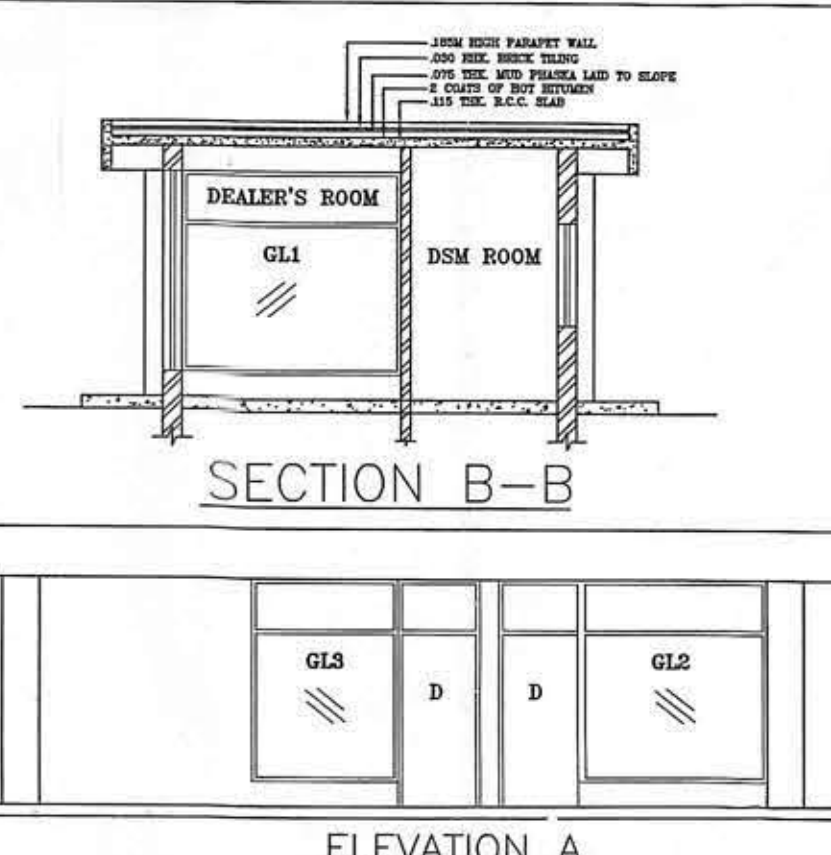
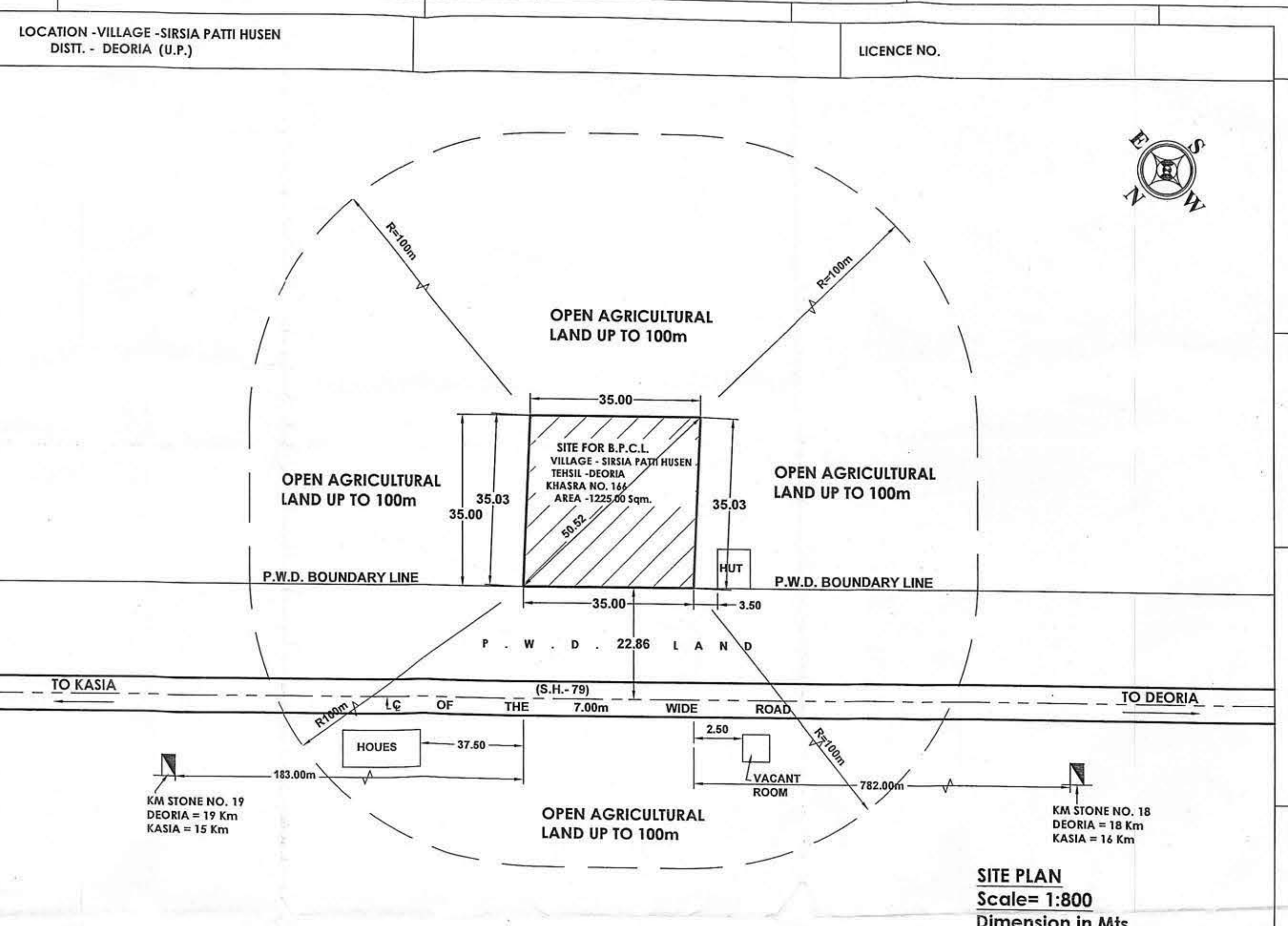
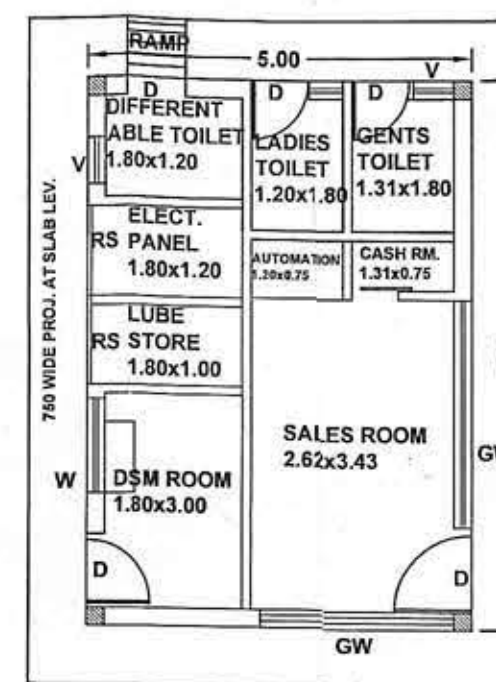
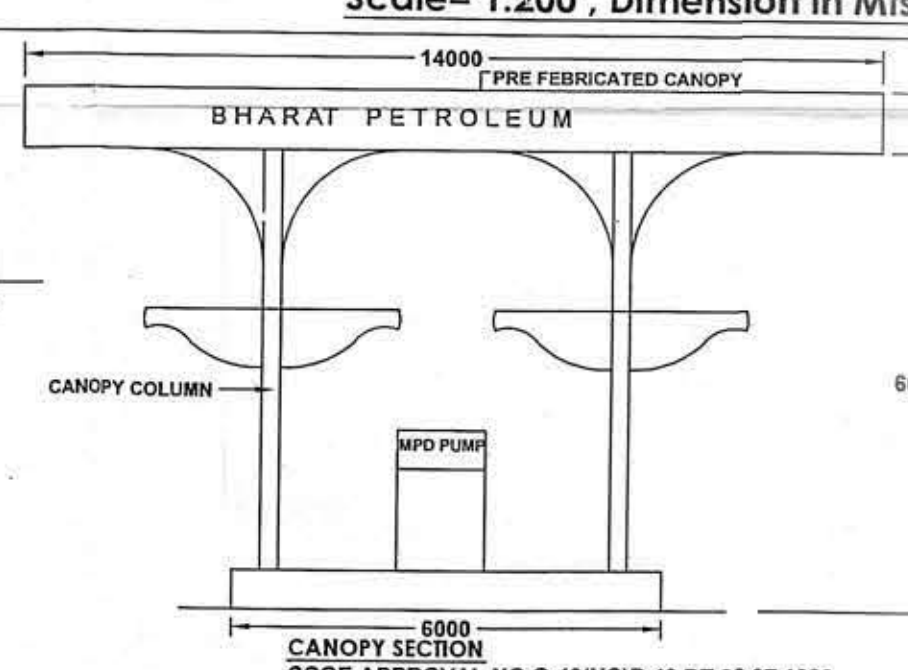
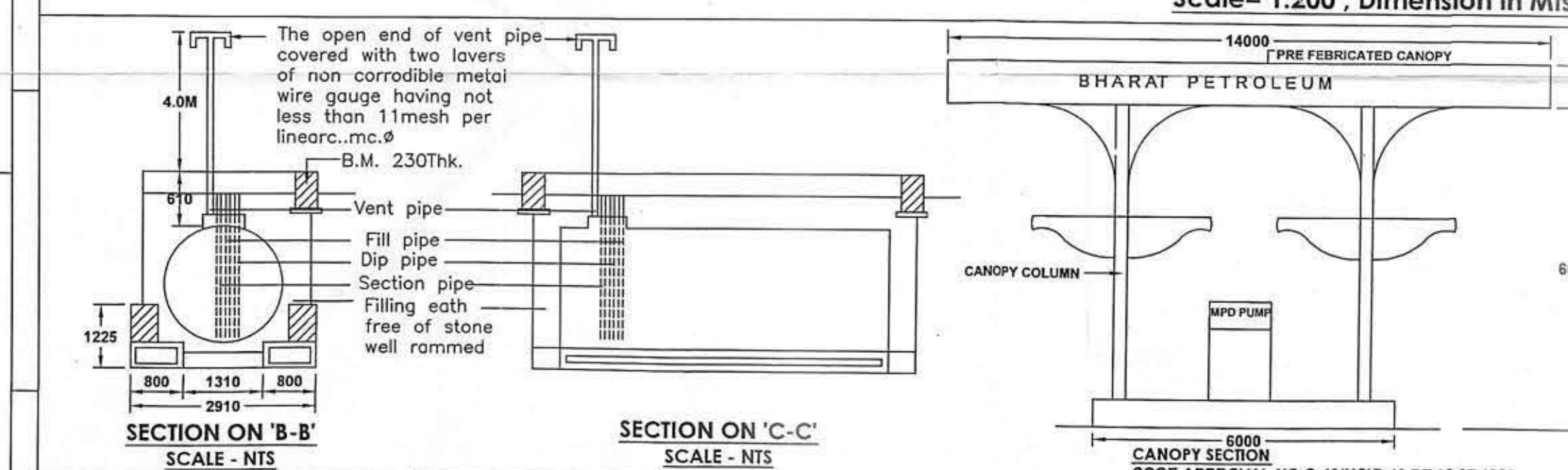
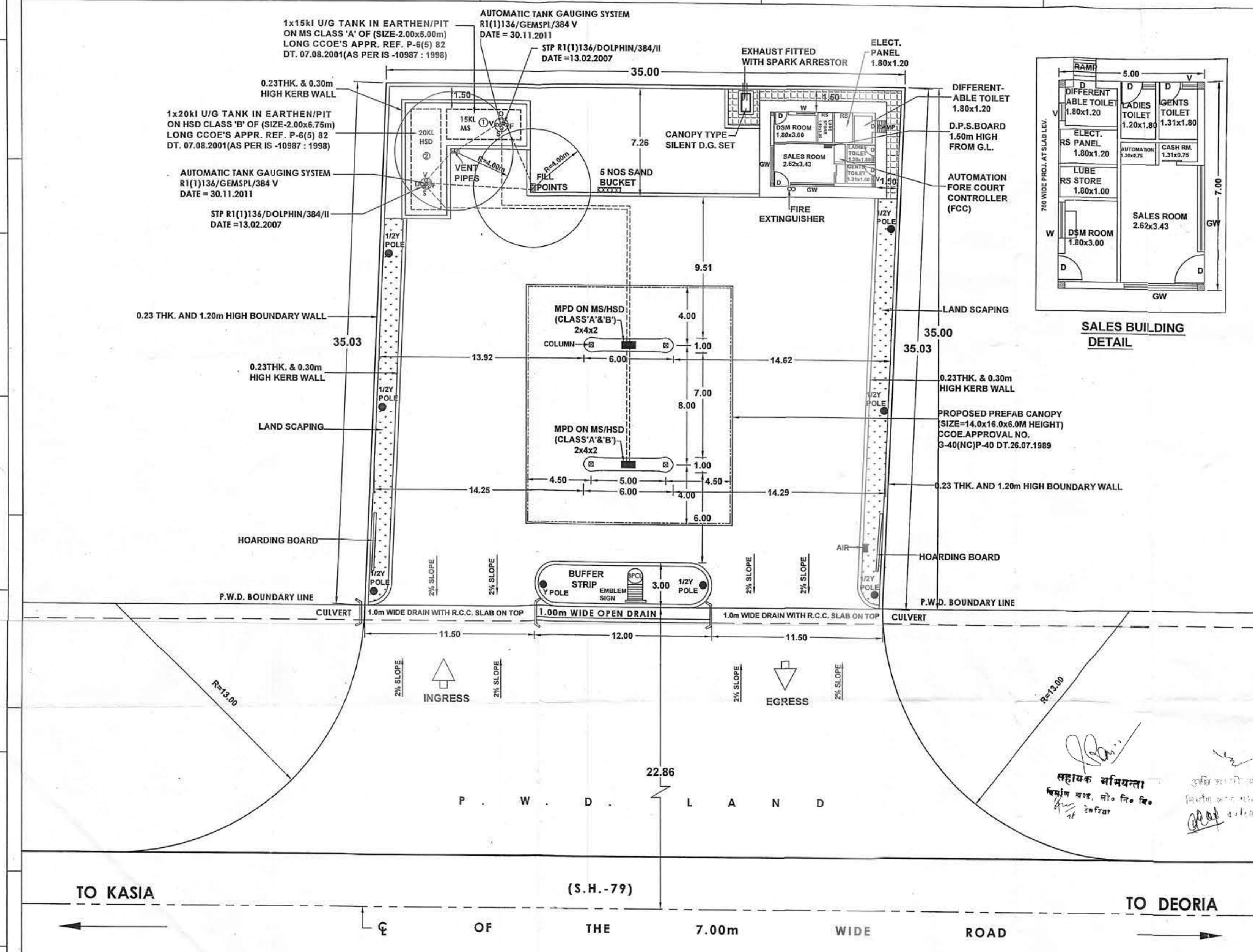
- 1- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (तृतीय), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया को सूचनार्थ प्रेषित।

Vikas Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

08/10/20

Constituted Attorney

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया



- NOTES :-**
1. V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
 2. F = FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
 3. D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
 4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS : 2148
 5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
 6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE UIG TANK & DIU.
 7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
 8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN UNDER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
 9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS : 10587 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) PYMISC 94 DATED-24.02.99.
 10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
 11. S.B. SAND BUCKET 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 12. F.E. FIRE EXTINGUISHER, 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLICABLE. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
 14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
 15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
20KL-SHELL-6MM
END - 8MM
 16. TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
 17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL41(MB) DATED-26.11.1963.
 18. NATURAL DRAIN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
 19. SITE MEETS APPLICABLE IRC.193 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
 20. EV - EXTENDED VENT POINT
E = EXTENDED FILL POINTS.
 21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
 22. NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES .
 23. PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR

SITE INFORMATION	
PLOT AREA	1225.00 Sqmt.
KHASRA NO.	166
LOCATION	VILL.- SIRSIA PATTI HUSEN
PARGANA	SHAHJHAPUR
TEHSIL	DEORIA
POST OFFICE	TARKULWA
POLICE STATION	TARKULWA
RAILWAY STATION	DEORIA
DISTRICT	DEORIA
STATE	UTTAR PRADESH
PIN CODE	274 408
NEAR KM STONE NO.	19
ROAD NAME	S.H.- 79

DETAIL OF DISPENSOR					
Sr.No.	TYPE OF DISPENSOR				
1	1 MPD MS/HSD				
2	1 MPD MS/HSD				
DETAIL OF TANKS					
Sr.No.	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT

DETAIL OF TANKS					
Sr.No	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT

 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. (MARKETING - DIVISION)	Subject:- Layout Plan of a Retail Outlet			
	On Kasia - Deoria Road ,At -Village - Sirsia patti Husen Tehsil - Deoria , District - Deoria, Near Km. Stone No.19 (S.H.- 79)(Chainage - 18 + 782)		12.08.19	BPCL/D19/2019
			DATE	DRAWING NO.
			NUMBERS CROSSED OUT ARE SUPERSEDED DRAWING NO.	
Distt.- Deoria (U.P.)	At.- Village - Sirsia patti Husen			
DATE- 12.08.2019	CHIEF ENGINEER	DIV./MANAGER		
SCALE 1 : 200			BPCL/D19/2019	